


राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड-डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)



मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांक: प.4(378)प्रार.शि./एमडीएम/IVRS/2016-17

1066

दिनांक: 5.1.18

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक)
जिला- समस्त।

विषय : राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस फरवरी 2018 के कवरेज आंकड़ों को मिड डे मील कार्यक्रम के SMS Based Automated Monitoring and Reporting System के तहत रिपोर्ट करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रं. 15530
दिनांक 12.12.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम (National Deworming Day) 8 फरवरी 2018 को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग (आई.सी.डी.एस) के संयुक्त प्रयास और एविडेंस एक्शन-डिवर्म दि वर्ल्ड इनिशिएटिव और यूनीसेफ के तकनीकी सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत समस्त राजकीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) के विद्यार्थियों को डिवार्मिंग दवा खिलाई जायेगी। उक्त दिवस को जो विद्यार्थी बीमार होने या अनुपस्थित रहने के कारण डिवार्मिंग की दवाई खाने से वंचित रह जाते हैं उन्हें मॉप-अप दिवस 15 फरवरी 2018 को डिवार्मिंग की दवाई खिलाई जायेगी।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम (National Deworming Day) 8 फरवरी 2018 एवं मॉप-अप दिवस 15 फरवरी 2018 के कवरेज आंकड़ों को मिड डे मील कार्यक्रम के SMS Platform द्वारा रिपोर्ट करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त दिवस (8 फरवरी 2018 एवं मॉप-अप दिवस 15 फरवरी 2018) को मिड डे मील योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या टोल फ्री नं. 15544 पर SMS के माध्यम से भिजवाने के स्थान पर निम्न प्रारूप में डिवार्मिंग की दवाई खिलाए गए विद्यार्थियों की संख्या भिजवाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/ प्राचार्यों को निर्देशित करावे।

MDM<space>डिवार्मिंग की दवाई खिलाए गए विद्यार्थियों की संख्या

(वेद सिंह)

आयुक्त, मिड डे मील

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
7. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एविडेंस एक्शन, राजस्थान।
9. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान।